# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा** आर.ए.एस.

**अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 786 / 2016**

1. राजाराम पुत्र तेजाराम जाति बिश्नोई निवासी 1 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. विजय कुमार पुत्र बद्रीराम जाति बिश्नोई नवासी 1 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. अश्वनी कुमार पुत्र बद्रीराम जाति बिश्नोई निवासी 1 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. शिवदयाल पुत्र भैराराम जाति बिश्नोई निवासी 1 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. रामुकमार पुत्र भैराराम जाति बिश्नोई निवासी 1 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. पूनमचन्द पुत्र भैराराम जाति बिश्नोई निवासी 1 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. इन्द्रजीत पुत्र चानणराम जाति बिश्नोई निवासी 1 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. बलदेवराज पुत्र चानणराम जाति बिश्नोई निवासी 1 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. विरेन्द्र कुमार पुत्र चानणराम जाति बिश्नोई निवासी 1 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

**– – प्रार्थीगण**

–:: बनाम ::–

1. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन उत्तर खण्ड श्रीगंगानगर वास्ते गंग कैनाल लिंक चैनल।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

**– – अप्रार्थीगण**

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

– :: निर्णय ::– **दिनांक :– 15.05.2018**

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 के नाम चक 1 डी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 45 मुरब्बा नम्बर 13, 16 में 2.695 हैक्टर रकबा दर्ज है जमाबन्दी की नकल शामिल है प्रार्थीयान संख्या 2, 3 के नाम से चक हाजा के खाता संख्या 65 मुरब्बा नम्बर 13, 16, 43 में रकबा दर्ज है जमाबन्दी की नकल शामिल है। प्रार्थीयान संख्या 4 ता 6 के नाम से चक हाजा के खाता संख्या 21 / 13 मुरब्बा नम्बर 11, 12, 17, 18 में रकबा दर्ज है जमाबन्दी की नकल शामिल है तथा प्रार्थीयान संख्या 7 ता 9 के नाम से चक हाजा के खाता संख्या 21 / 13 मुरब्बा नम्बर 12 में रकबा दर्ज है तथा यह भूमि उनके नाम से स्व. चानणराम पुत्र रतीराम के नाम से दर्ज है।

लगातार ........... 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रार्थीयान के रकबो में ही ढ़ाणीयां बनी हुई है तथा प्रार्थीयान के रकबा के साथ लिक चैनल जा रही है जिसके नाम से चक 1 डी छोटी के खाता संख्या 99/74 मुरब्बा नम्बर 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 में रकबा दर्ज है जमाबन्दी की नकल शामिल है।

प्रार्थीयान को अपनें अपनें रकबा में बनी ढाणीयों व खेत में आनें जानें के लिये गुमजाल के पुल से उतरकर मुरब्बा नम्बर 18, 17, 16 प्रत्येक के किला नम्बर 1 ता 5 के बीच में लिंक चैनल के सर्विस रोड़ से होकर आनें जानें का सीधा रास्ता है, इसके अलावा प्रार्थीयान के रकबा के लिये अन्य कोई रास्ता स्वीकृत शुद्धा नहीं है इस प्रकार प्रार्थीयान के रकबा के लिये स्वीकृत शुदा रास्ता ना होनें से प्रस्तावित रास्ता मुरब्बा नम्बर 18, 17, 16 प्रत्येक के किला नम्बर 1 ता 5 के बीच में लींक चैनल के सर्विस रोड़ पर ही रास्ता स्वीकृत करना आवश्यक है, जिससे कि प्रार्थीयान अपनें खेतों व ढ़ाणियों में आ जा सके इस सम्बध में प्रार्थीयान द्वारा जिलाधीश श्रीगंगानगर को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28.06.2016 को प्रस्तुत करते हुए प्रतिलिपि तहसीलदार श्रीगंगानगर को तथा अधिशाषी अभियन्ता लिंक चनैल श्रीगंगानगर को प्रेषित की गई जिस पर पटवारी हल्का को रिपोर्ट के लिये लिखा गया तथा पटवारी हल्का द्वारा गिरदावर हल्का को अपनी रिपोर्ट दिनांक 11.07.2016 को प्रेषित की तथा गिरदावर हल्का द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर के पत्र क्रमाकं 1309/30.06.2016 के सन्दर्भ में तहसीलदार को प्रेषित की कि प्रति शामिल है। जिसके साथ प्रस्तावित रास्ता को गुमजाल के पुल से लाल स्याही से दर्शित किया गया है, अतः इस प्रस्तावित रास्ता को स्वीकृत करवाया जाकर अमल दरामद करवाया जाना आवश्यक है जिससे कि प्रार्थीयान को भविष्य में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो सके।

लिंक चैनल की सर्विस रोड़ पूर्व में चालू होनें आवागमन में बाधा पैदा नहीं हो रही है मगर अब इसमें बाधा पैदा होनें के कारण प्रस्तावित रास्ता सर्विस रोड़ को स्वीकृत करवाना आवश्यक है अतः 2 बिस्वा चौड़ाई में लिंक चैनल की सर्विस रोड़ चक 1 डी छोटी मुरब्बा नम्बर 18, 17, 16 प्रत्येक के किला नम्बर 1 ता 5 में से बीच में स्वीकृत किया जाना आवश्यक है, इसमें प्रार्थी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है क्योंकि सर्विस रोड़ आवागमन के लिये ही रखी जाती है इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 को आपत्ति नहीं हो सकती है अतः इस प्रस्तावित रास्ता को स्वीकृत कर खुलवाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थीयान के उपरोक्त रकबा के लिये अप्रार्थी संख्या 1 के रकबा खाता खाता संख्या 99/74 मुरब्बा नम्बर 18, 17, 16 प्रत्येक के किला नम्बर 1 ता 5 लिंक चैनल के सर्विस रोड़ की जगह में दो–दो बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत करनें का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, श्रीगगानगर से रिपोर्ट मंगवाई गई, मुताबिक रिपोर्ट मुरब्बा नम्बर 11, 12, 13, 14 तथा मुरब्बा नम्बर 15, 16, 17, 18 के 1 ता 5 किला नम्बर वाले रकबा के किसान कृषि हेतु ढ़ाणियों में जानें हेतु मुरब्बा नम्बर 18.19 की सीमा पर गुमजाल वाले पुल से पूर्व की और लिंक चैनल के रकबा में से सर्विस रोड़ का उपयोग करते थे यह रास्ता वर्तमान में बन्द है।

सहायक अभियन्ता दक्षिण खण्ड श्रीगंगानगर के पत्रांक 169 दिनांक 15.05.2018 के द्वारा जबाब प्रस्तुत कर किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि ढ़ाणियों में आनें जानें हेतु स्वीकृत शुदा रास्ता की लिये लिंक नहर की भूमि से रास्ता स्वीकृत करनें की शक्तियां अर्थात विषयक में तब्दीली राज्य सरकार में निहीत है।

(राजस्व) लगातार ........... 3

जहां तक नहर के पटड़े को रास्ता आवागमन के रूप में इस्तेमाल करनें का प्रश्न है तो गंग नहर परियोजना की समस्त नहरों पर कृषकों द्वारा सर्विस बैक का उपयोग किया जाता है इसी रूप में लिंक चैनल के बायीं ओर के सर्विस बैंक 20 फुट के पट्डे का उपयोग किया जा सकता है।

नहर के कच्चा होनें के कारण नहर के पटड़ों खदान के क्षैत्र में उपयोग मिट्टी की पूर्ति में कभी भी किया जा सकता है अतः पक्का निर्माण नहीं करवाया जा सकता है। लिंक नहर की सर्विस रोड़ में जो कि नहर के बांयी और 20 फुट का पटड़ा है का उपयोग आवागमन के लिये काश्तकारों द्वारा किया जा सकता है। रास्ता के लिये नहर के बाये पटड़े का उपयोग करनें के लिये काश्तकारों द्वारा स्वयं के स्तर पर पटड़ों का रख रखाव किया जावेगा। लिंक नहर कच्ची होनें एवम् खाते में किसी प्रकार का परिवर्तन न किये जानें के मध्यनजर पक्का रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है नहर के सर्विस बेक बायी और के पटड़े का उपयोग आवागमन हेतु किया जा सकता है।

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम साधुवाली में आयोजित शिविर में प्रकरण से सम्बंधिम मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार काश्तकारान को अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है मौका पर प्रचलित सीधा रास्ता नहीं है प्रार्थीगण लिक चैनल की भूमि में प्राकृतिक रूप से उगे हुए पेड़ों को छोड़ते हुए रास्ता चल रहा है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट तथा सहायक अभियन्ता दक्षिण खण्ड श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

## — :: आदेश ::—

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता दक्षिण खण्ड श्रीगंगानगर एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के अनुसार लिंक नहर की सर्विस रोड़ में जो कि नहर के बांयी और 20 फुट का पटड़ा है का उपयोग आवागमन के लिये काश्तकारों द्वारा किया जा सकता है। रास्ता के लिये नहर के बाये पटड़े का उपयोग करनें के लिये काश्तकारों द्वारा स्वयं के स्तर पर पटड़ों का रख रखाव किया जावेगा। लिंक नहर कच्ची होनें एवम् खाते में किसी प्रकार का परिवर्तन न किये जानें के मध्यनजर पक्का रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है नहर के सर्विस बैक बायी और के पटड़े का उपयोग आवागमन हेतु किया जा सकता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जा.क. बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 15.05.2018 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत साधुवाली में आयोजित शिविर के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
...नगर